राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजसमन्द खण्ड द्वितीय

खनिज भवन, आर.के राजकीय चिकित्सालय के सामने, बाईपास रोड, राजसमन्द

Telephone-02952-222345, Fax-02952-220190, E-Mail Address – me.rajsamand2@rajasthan.gov.in

क्रमांकः खअ ।।/अना./नीलामी/2019–20/ 1962 दिनांकः 2/3/20

–ःनीलामी सूचनाः–

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा अनाधिकृत खनन/निर्गमन के तहत इस खण्ड के क्षैत्राधिकार में विभिन्न स्थानों पर जब्त खनिज बजरी की खुली नीलामी की जानी हैं जिसका विवरण निम्नानुसार हैंः–

क्र. स.	खनिज बजरी की अनुमानित मात्रा	आरक्षित दर प्रति टन	नीलामी प्रारम्भ होने की दिनांक व समय	नीलामी का स्थान
1	4400 टन	350/–	20.03.2020 प्रातः 10.00 बजे से	कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग,राजसमन्द खण्ड–।।

नीलामी से पूर्व बोलीदाता को 30000/– अक्षरे रूपये तीस हजार मात्र अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करवाने होगें।नीलामी का पूर्ण विवरण कार्यालय समय में इस कार्यालय एवं विभागीय वेबसाईट http://www.mines.rajasthan.gov.in/ पर देखी जा सकती हैं किसी भी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार कमेटी के विवेकाधीन रहेगा।

खनि अभियन्ता,
राजसमन्द खण्ड द्वितीय।

क्रमांकः–खअ/राज–।।/अना./नीलामी/2019–20 /1970 **दिनांकः–** 2/3/20

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निदेशक महोदय, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान–उदयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त नीलामी सूचना एवं शर्तो को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा करावे।
2. अतिरिक्त निदेशक(खान), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर जोन उदयपुर।
3. वितीय सलहाकार, निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान–उदयपुर।
4. अधीक्षण खनि अभियन्ता, खान एवं भू–विज्ञान विभाग , राजसमन्द वृत राजसमन्द।
5. कोषाधिकारी राजसमन्द को भेजकर निवेदन है कि नीलामी कार्य हेतु अपने एक प्रतिनिधि लेखाकर्मी को भिजवाने का श्रम करावें।
6. संपादक राजस्थान पत्रिका राजसमन्द को भेजकर लेख है कि नीलामी सूचना अपने राजसमन्द व उदयपुर संस्करण में न्युनतम स्पेस में डीआईपीआर के अनुमोदित दरों पर प्रकाशित कराने का श्रम करावें।
7. थानाधिकारी पुलिस थाना , कांकरोली।
8. नोटिस बोर्ड कार्यालय निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान–उदयपुर पर चस्पा हेतु।
9. नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा पर चस्पा हेतु।

खनि अभियन्ता,
राजसमन्द खण्ड द्वितीय।

Scanned with CamScanner

राजस्थान सरकार
कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजसमन्द खण्ड द्वितीय
खनिज भवन, आर.के राजकीय चिकित्सालय के सामने, बाईपास रोड, राजसमन्द
Telephone-02952-222345, Fax-02952-220190, E-Mail Address – me.rajsamand2@rajasthan.gov.in

बजरी नीलामी की विस्तृत शर्ते

1. बजरी जहां है जैसी है उसी स्थिति में नीलाम की जाएगी।
2. बजरी का स्टॉक निम्नांकित स्थानों पर है–

क.स.	स्थान	अनुमानित मात्रा
1	पुलिस लाईन, राजसमन्द।	300 टन
2	पछमता तहसील रेलमगरा।	50 टन
3	दरीबा तहसील रेलमगरा।	2250 टन
4	छतरीखेडा तहसील रेलमगरा	1500 टन
5	पछमता तहसील रेलमगरा	300 टन
कुल योग		4400 टन

उपरोक्त स्थानों पर जमा बजरी की अलग अलग नीलामी की जावेगी।

3. बजरी नीलामी से पूर्व नीलामी में भाग लेने वाले ठेकेदार/बोलीदाता बजरी जहां पर पडी हुई हैं, वहॉ जाकर अवलोकन कर सकते हैं।
4. बजरी नीलामी की कार्यवाही दिनांक 20.03.2020 को प्रातः 10.00 बजे से इस कार्यालय में प्रारम्भ की जाएगी। प्रारम्भ में बोली में भाग लेने वालों से अर्नेस्ट मनी एवं आवश्यक दस्तावेज यथा पेन कार्ड, आधार कार्ड आदि प्राप्त करेंगे तथा वास्तविक बोली प्रातः 11.30 बजे से प्रारम्भ होगी। बोली प्रारम्भ होने के बाद किसी भी नये बोलीदाता को बोली प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जावेगा।
5. बोली लगाने से पूर्व बोलीदाता द्वारा अर्नेस्ट मनी के रूप में 30000 /– अक्षरे रूपये तीस हजार मात्र नकद या खनि अभियन्ता, राजसमन्द खण्ड द्वितीय के नाम जारी डी.डी. /बैंकर्स चेक के रूप में जमा कराने होंगे।
6. अर्नेस्ट मनी के अभाव में बोलीदाता को बोली से बाहर कर दिया जाएगा।
7. बोलीदाता को बोलीं लगाने से पूर्व अपना पेन कार्ड, आधार कार्ड की प्रमाणित प्रति इस कार्यालय में जमा करानी होगी।
8. बोली छूटने पर 1,00,000/– अक्षरे रूपये एक लाख मात्र या स्वीकृत की गई बोली से बजरी की अनुमानित मात्रा से गुणा करने पर प्राप्त राशि की 25 प्रतिशत राशि जो भी कम हो उसी रोज एवं शेष राशि बजरी उठाने पर जमा करानी होगी। राशि जमा नहीं करवाने पर धरोहर राशि जब्त कर राजकोष में जमा करवा दी जावेगी।
9. बजरी उठाने/तुलवाने व परिवहन का समस्त खर्च बोलीदाता को वहन करना होगा।
10. बोली राशि पर नियमानुसार जी.एस.टी. बोलीदाता को जमा करानी होगी।
11. निदेशालय खान एवं भू–विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर द्वारा निर्धारित नीलामी से संबधित अन्य शर्ते निम्नानुसार रहेगीः–

(1) सफलतम बोलीदाता को परिवहन हेतु अवधि 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस ही अनुमत होगा।

(2) 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय में कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तद्नुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।

Scanned with CamScanner

(3) तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पंजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेंस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सर्तकता) को **whatsapp** पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।

(4) विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना, वाहनों की फोटों एवं कम्प्युटरीकृत/अधिकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बन्धित ऊपर अंकित अधिकारियों को **whatsapp** पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।

(5) नीलाम की गई बजरी का पुनःभण्डारण/परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।

(6) स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक की फोटों, वाहनों की तौल पर्चियां एवं भरे हुए वाहनों के फोटों तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।

(7) प्रत्येक स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः नीलामी कर सकेगा और इस सम्बन्ध में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

(8) सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेंस की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।

(9) खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मैन्युअल रवन्ना जारी किया जावेगा।

(10) खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथमिकता दी जावेगी।

. नीलामी हेतु खनिज बजरी की न्युनतम रिजर्व प्राइस राशि 350/- प्रति टन रखी गयी है। उक्त राशि से अधिक जिस राशि पर भी बोली निर्धारित होगी उस पर नियमानुसार रॉयल्टी, डीएमएफटी, जीएसटी व अन्य करों का भुगतान बोलीदाता को ही करना होगा।

खनि अभियन्ता,
राजसमन्द खण्ड द्वितीय।

Scanned with CamScanner